

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

रामअवतार बनाम मोती वर्ग 0

किस्म मुकदमा-वाद बाबत उदघोषणा दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 87 सन् 2025

Prans
2025/410

तारीख हुवम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
16 ⁰⁶ / ₂₅	<p>पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी समन प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी0 जारी हो। पत्रावली दिनांक 20.06.2025 को पेश हो। <i>Am</i></p> <p>उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक)</p>	
20 ⁰⁶ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप. / प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 की और से अधिवक्ता की हरिनारायण गुर्जर ने बकालतगामा व इकबाली जवान दावा प्रस्तुत किया। पत्रावली बाबत साक्ष्य/बहस दिनांक 24.06.25 को पेश हो। <i>Am</i></p> <p>24⁰⁶/₂₅</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रवादी संख्या/पीओ साहब राजकार्य में बहस/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली 'तब अवैतिका अनुसार दिनांक 25/6/25 को पेश हो।</p> <p><i>Prans</i></p>	
25 ⁰⁶ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली बाबत साक्ष्य/बहस हेतु दिनांक 27/06/25 को पेश हो। <i>Am</i></p> <p>27⁰⁶/₂₅</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रवादी संख्या/पीओ साहब राजकार्य में बहस/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली 'तब अवैतिका अनुसार दिनांक 27/7/25 को पेश हो।</p> <p><i>Prans</i></p>	

02/07/25 पत्रावली का प्रथम अधिवक्ता/राजीव
उपस्थित अधिकारी के द्वारा
अपवादित त होने के कारण
पत्रावली में अवैधता अनुसार दिनांक
04-07-25 पेश है।
Rajiv

04/07/25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता मय परचकारण
उप। उभयपक्ष पृथक्करण में उपस्थित होकर राजीनामा
प्रस्तुत किया। राजीनामा उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया
गया। प्रस्तुत राजीनामे पर उभयपक्ष अधिवक्ता ने
बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी
अधिवक्ता प्रतिवादीगत में मुलाबिद बाद पर डिडी
दिये जाने में सहमति जाहिर की है। पत्रावली बास्ते
आदेश दिनांक 15.07.2025 को पेश है।

15/07/25 पत्रावली बास्ते आदेश पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता
उप। पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष
की बहस पर मतभेद किया जाकर बाद वादी स्वीकार
किया गया। निर्णय पृथक् से लिखवाया गया, जो
शामिल है। डिडी जारी है। पत्रावली निर्णित मुगार
होकर दफ्तर दायित्व हो एवं नियमानुसार नम्बर से
कम है।

[Signature]
उप खण्ड अधिकारी
वीपलू (टॉक)